



सत्यमेव जयते
भारत सरकार

Government of India

वित्त मंत्रालय
Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय से संबधित वित्त संबंधी स्थायी समिति (2013-14) की 75वीं रिपोर्ट,
15वीं लोक सभा की सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में
माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा लोक सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

**STATEMENT BY SHRI ARUN JAITLEY, MINISTER OF FINANCE, IN THE LOK SABHA
REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS -
75TH REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (2013-14),
15TH LOK SABHA, RELATING TO THE MINISTRY OF FINANCE**

अगस्त, 2014
AUGUST, 2014

विषय-सूची		INDEX	
क्रम संख्या	विषय वस्तु	Sl No.	Page No.
1.	श्री अरुण जेटली, वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य	1. Statement by Shri Arun Jaitley, Minister of Finance	i-ii
2.	अनुबंध- वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं, व्यय एवं विनिवेश विभाग) की 2013-14 की अनुदान मांगों के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति की 75वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट 18 अक्टूबर, 2013 को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत की गई।	2. Annexure- Action Taken Report on the Recommendations/Observations contained in the 75th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants 2013-14 of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Disinvestment) presented to Lok Sabha/laid in the Rajya Sabha on 18 th October, 2013.	17-27

आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं, व्यय और विनिवेश विभाग
संबंधी अनुदान मांगों (2013-14) के संबंध में वित्त संबंधी
स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) की 75वीं रिपोर्ट में
निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में
माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली द्वारा लोक सभा में
दिया जाने वाला वक्तव्य

STATEMENT BY SHRI ARUN JAITLEY, MINISTER
OF FINANCE IN THE LOK SABHA REGARDING THE
STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS
CONTAINED IN THE 75th REPORT OF THE STANDING
COMMITTEE ON FINANCE (15th LOK SABHA)
DEMANDS FOR GRANTS (2013-14), RELATING TO THE
DEPARTMENTS OF ECONOMIC AFFAIRS, FINANCIAL
SERVICES, EXPENDITURE & DISINVESTMENT

मैं, लोक सभा बुलेटिन, भाग-II दिनांक 01 सितम्बर, 2004 के जरिए माननीय लोक सभा अध्यक्ष के निर्देश 73-ए के अनुसरण में आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवा, व्यय और विनिवेश विभाग विषयक वित्त संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) की 75वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में बयान देना अपना सौभाग्य मानता हूँ।

I deem it my privilege to make a statement on the status of implementation of recommendations contained in the 75th Report of the Department of Economic Affairs, Financial Services, Expenditure and Disinvestment of the Standing Committee on Finance (15th Lok Sabha) in pursuance of Direction 73-A of the Hon'ble Speaker, Lok Sabha *vide* Lok Sabha Bulletin, Part II dated 1st September 2004.

वित्त संबंधी स्थायी समिति (15वीं लोक सभा) की **75वीं रिपोर्ट 18 अक्टूबर, 2013** को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी। **75वीं रिपोर्ट** अनुदान मांगों (2013-14) की जांच से संबंधित है। इस रिपोर्ट में, समिति ने विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और आठ (8) सिफारिशें की, जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई की आवश्यकता है। ये सिफारिशें मुख्यतः स्वावलंबन स्कीम के पुनः गठन, केन्द्र सरकार की प्रमुख स्कीमों की निगरानी, व्यावसायिक पत्राचार/व्यवसाय सुसाध्यकारक (बीसी/बीएफ) की प्रभावशीलता

The **75th Report** of the Standing Committee on Finance (15th Lok Sabha) was **presented** to the Lok Sabha on **18th October 2013**. The 75th Report relates to examination of Demands for Grants (2013-14). In the Report, the Committee deliberated on various issues and made eight (8) recommendations, where action is called for on the part of the Government. These recommendations mainly pertain to issues relating to Restructuring of

की समीक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण, एनपीए प्रबंधन प्रकोष्ठ, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ई और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान (कर्तव्यपरायणता व गोपनीयता की प्रतिबद्धता) अधिनियम 1983, विनिवेश पद्धति आदि के बारे में हैं।

रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई दिनांक 24 जनवरी, 2014 को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दी गई थी। समिति द्वारा 75वीं रिपोर्ट में सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

मैं अनुबंध को पढ़कर सुनाने के लिए सदन का बहुमूल्य समय लेना नहीं चाहूंगा। अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

Swavalamban Scheme, Monitoring of major Schemes of the Central Government, Review of effectiveness of Business Correspondence/Business Facilitator (BC/BF), Recapitalisation of Public Sector Banks, NPA Management Cell, Section 45E of RBI Act, 1934 and Public Financial Institutions(obligation as to fidelity and secrecy) Act, 1983, Disinvestment Methodology, etc.

Action Taken Statements on the recommendations/observations contained in the Report had been sent to the Standing Committee on Finance on 24th January, 2014. Present status of implementation of the recommendations made by the Committee in the 75th Report is indicated in **Annexure**.

I would not like to take the valuable time of the House to read out the contents of the Annexure. I would request that this may be taken as read.

18 अक्टूबर, 2013 को लोक सभा में प्रस्तुत/राज्य सभा में रखी गई वित्त मंत्रालय से संबंधित स्थायी वित्त समिति की 75वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों/टिप्पणियां पर कृत कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण

क्रम. सं.	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गयी या नहीं	अभ्युक्तियाँ
1	2	3	4	5	6
1.	मद सं. 13 और 14	वर्षों से सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कम उपलब्धि की पृष्ठभूमि में समिति ने योजना की पुनर्संरचना की सिफारिश की थी, क्योंकि मौजूदा रूप में इसे लोगों द्वारा नहीं अपनाया गया है। की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर में वित्त मंत्रालय ने यह उल्लेख किया है कि चूंकि स्वावलंबन योजना 26 सितंबर, 2010 को आरंभ की गई थी, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में धीमी वृद्धि हुई है अतः इस योजना को इस समय पुनर्संरचित करने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है। तथापि, उपलब्ध तथ्यों से समिति यह नोट करती है कि वर्ष 2013-14 के लिए 40 लाख अभिदाताओं की कवरेज के लक्ष्य की तुलना में अभी तक केवल आधे अभिदाताओं अर्थात् 20.50 लाख अभिदाताओं को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। हालांकि योजना के अंतर्गत नामांकन में मामूली सुधार हुआ है, समग्र कवरेज लक्ष्य को प्राप्त करना संदिग्ध है क्योंकि यह योजना केवल मार्च, 2014 तक उपलब्ध है। इसके अलावा, स्वावलंबन योजना के अंतर्गत प्राप्त कवरेज अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, नामतः आरएसबीवाई जिसके अंतर्गत कवरेज 57.34 लाख है, एएबीवाई जिसके अंतर्गत कवरेज 80.15 लाख है, की तुलना में संतोषजनक नहीं है जबकि	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (पीएफआरडीए अधिनियम), को 1 फरवरी, 2014 से लागू किया गया है। पीएफआरडीए अधिनियम में पीएफआरडीए को अपनी विनियामकीय और विकासात्मक भूमिका प्रभावी रूप से निभाने तथा अभी तक कवर न किए गए कार्यशील लोगों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के जरिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसे सांविधिक दर्जा प्रदान करना अभिप्रेत है। स्वावलंबन योजना एनपीएस का एक भाग है। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत पीएफआरडीए को एनपीएस को नियमित करने, इसे बढ़ावा देने तथा इसके क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने का अधिदेश दिया गया है। स्वावलंबन योजना के लक्षित समूह के बड़े भाग की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इस योजना को 2016-17 तक पहले ही बढ़ा दिया गया है और वर्ष 2016-17 तक के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 3165 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। ऐसी योजना, जिसे पीएफआरडीए अधिनियम के अंतर्गत पीएफआरडीए द्वारा लागू किए जाने तथा विनियमित किए जाने का अधिदेश दिया गया है, को द्विरावृत्ति या किसी उलझन से बचने के लिए इसकी निगरानी के प्रयोजन	स्वीकार नहीं की गई। वित्त संबंधी स्थायी समिति के 75वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों को स्वीकार न किए जाने के कारणों को कॉलम 4 के अंतर्गत विस्तार से दिया गया है। श	

क्रम. संख्या	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गयी या नहीं	अभ्युक्तियाँ
		स्वावलंबन योजना के अंतर्गत कवरेज मात्र 6.80 लाख है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुल रोजगार का 94 प्रतिशत अर्थात् 43.70 करोड़ असंगठित क्षेत्र में है, जिसके लिए इस तरह की योजनाओं के अंतर्गत विस्तृत कवरेज की आवश्यकता है, स्वावलंबन योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम पूर्णतः अपर्याप्त हैं। आरएसबीवाई तथा एएबीवाई को असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I में शामिल किया गया है और इन्हें असंगठित कामगार के लिए कल्याणकारी योजना माना गया है, इससे अलग स्वावलंबन योजना को अभी इस अनुसूची में अपना स्थान प्राप्त करना है जबकि केंद्र सरकार को अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। अतः समिति असंगठित कामगार को अधिकाधिक कवर करने के लिए स्वावलंबन योजना को पुनर्संरचित करने की अपनी सिफारिश को दोहराते हुए सरकार से यह अनुरोध करती है कि असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I में स्वावलंबन योजना को शामिल करने के लिए इसे संशोधित करे।	हेतु इसे किसी अन्य अधिनियम (असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008) के अंतर्गत शामिल किया जाना अपेक्षित नहीं है। 2. इसके अलावा, स्वावलंबन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों की कवरेज को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। स्वावलंबन योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान कुल 6.44 लाख अभिदाताओं, वर्ष 2012-13 के दौरान 11.04 लाख अभिदाताओं तथा वर्ष 2013-14 के दौरान 25.04.2014 तक 13.90 लाख अभिदाताओं को इसके अंतर्गत शामिल किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। यह आशा है कि पूरे वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान योजना के अंतर्गत नामांकन का ब्यौरा प्राप्त होने पर इससे लाभान्वित अभिदाताओं की संख्या लगभग 15 लाख होने की संभावना है, इन आंकड़ों के मई, 2014 में प्राप्त होने की संभावना है। 3. असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 न तो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को और न ही उक्त अधिनियम के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता का स्पष्ट उल्लेख करता है। असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 केवल सामाजिक सुरक्षा का स्वरूप प्रदान करता है, तथापि किसी सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे स्वावलंबन योजना का कार्यान्वयन इस अधिनियम की विषय-		

क्रम. संख्या	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गयी या नहीं	अभ्युक्तिर्याँ
2.	17	समिति को यह जानकर प्रसन्नता है कि सरकार ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत स्कीमों पर निगरानी रखने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग में एक निगरानी स्कंध स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। तथापि, की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर में, समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, केन्द्र सरकार की मुख्य स्कीमों में व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर व्यय के परिणाम पर निगरानी रखने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। समिति इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जानना चाहती है।	वस्तु नहीं है क्योंकि यह कार्य पेंशन क्षेत्र विनियामक जो कि पीएफआरडीए है, के द्वारा किया जाता है। 4. उपर्युक्त को देखते हुए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय का यह कहना है कि स्वावलंबन योजना को असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I में शामिल किए जाने के संबंध में अनुदान मांग (2013-14) संबंधी वित्त संबंधी स्थायी समिति के 67वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिश को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। (i) आन्तरिक वित्त सलाहकारों की एक प्रणाली विद्यमान है। अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों में वित्त सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। ये आंतरिक वित्त सलाहकार अन्य कार्यों के साथ-साथ मंत्रालय/विभाग द्वारा कार्यान्वित योजना स्कीमों में व्यय के परिणाम और गति पर निगरानी रखते हैं। (ii) व्यय विभाग समय-समय पर वित्त सलाहकारों की बैठकें आयोजित करता है, जिनकी अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। इन बैठकों में, विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा किए गए व्यय जिसमें योजना स्कीमों पर किया गया व्यय भी शामिल होता है, पर विस्तृत चर्चा की जाती है। व्यय के परिणाम पर निगरानी रखने के लिए वित्त सलाहकारों को उचित निर्देश दिए जाते हैं।	स्वीकार कर ली गई है।	

क्रम. संख्या	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गयी या नहीं	अभ्युक्तियाँ
3.	20	"समिति असहमति के साथ नोट करती है कि व्यवसाय प्रतिनिधि/व्यवसाय सुविधाकर्ता मॉडल की समीक्षा तथा प्रभावोत्पादकता तथा निजी क्षेत्र द्वारा अर्द्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 25% शाखाएं खोलने के दायित्व को पूरा करने के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर टालमटोल स्वरूप का है। मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश	(iii) पिछली योजनाओं की स्कीमों को चालू बारहवीं योजना में जारी रखे जाने के लिए किसी स्वतंत्र एजेंसी से उनका मूल्यांकन कराना आवश्यक होता है। योजना स्कीम को लागू करने वाले संबंधित मंत्रालय/विभाग को मूल्यांकन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की जांच करनी होती है ताकि मूल्यांकन रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों का समाधान किया जा सके और स्कीमों को जारी रखे जाने के लिए उचित अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके जारी रखी जाने वाले स्कीमों को मूल्यांकन के लिए जब व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ईएफसी ज्ञापन में स्वतंत्र मूल्यांकन से संबंधित स्थिति का उल्लेख करना होता है और ईएफसी की बैठकों में चर्चा की जाती है। (iv) उपर्युक्त उपायों के माध्यम से व्यय के परिणाम पर निगरानी रखने का एक तंत्र विद्यमान है। 1. बैंकिंग का विस्तार करने तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने को ध्यान में रखते हुए सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों में घरेलू वाणिज्यिक बैंकों को कुछ विशिष्ट कार्रवाई करने की सलाह दी गई है। सर्वप्रथम जनवरी 2010 में बैंकों को अगले 3 वर्षों में लागू किये जाने हेतु अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी)	स्वीकृत	

क्रम. संख्या	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गयी या नहीं	अभ्युक्तियाँ
		प्रस्तुत करने का चयन किया है और नोडल एजेंसी के रूप में अपने द्वारा किये कार्य का उल्लेख नहीं किया है। समिति इस प्रकार की दैनिक पद्धति का अनुमोदन नहीं करती है और यह चाहती है कि व्यवसाय प्रतिनिधि/व्यवसाय सुविधाकर्ता मॉडल के निगरानी तंत्र सहित इस संबंध में विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करें।"	प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी। बैंकों को अपने व्यवसाय कार्य नीति के साथ एफआईपी तैयार करने और इसे अपने कारपोरेट योजना का अभिन्न भाग बनाने की सलाह दी गई थी। इन योजनाओं में गांव में खोली शाखाएं खोलना ; व्यवसाय प्रतिनिधि नियुक्त करना; 2000 से अधिक जनसंख्या वाले बैंक रहित गांव की कवरेज तथा शाखाओं/व्यवसाय प्रतिनिधि/अन्य पद्धतियों द्वारा 2000 से कम जनसंख्या वाले अन्य बैंक रहित गांव को कवर करना; बीसी-आईसीटी के जरिए खोले गये खातों सहित नोफ्रिल खाते; किसान क्रेडिट कार्ड तथा जारी किये गये साधारण क्रेडिट कार्ड तथा वित्तीय सेवा से वंचित वर्ग की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट अन्य विशिष्ट उत्पाद शामिल है। 2. एफआईपी को बैंकों की वित्तीय समावेशन पहल के तहत उनके कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 3 वर्ष की अवधि के दौरान मुख्य मानकों के संबंध में 3 वर्ष की वित्तीय समावेशन योजना (अप्रैल 2010 - मार्च 2013) के अंतर्गत बैंक द्वारा की गई प्रगति का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है: मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार गांव में लगभग 2,68,000 बैंकिंग केन्द्र है । इनमें से 2,21,341 व्यवसाय प्रतिनिधि केन्द्र हैं।		

क्रम. संख्या	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गयी या नहीं	अभ्युक्तियाँ
			3 वर्ष की अवधि के दौरान 7400 ग्रामीण शाखाएं खोली गई हैं। - बैंकों ने 1,94,772 व्यवसाय प्रतिनिधि को कार्य पर लगाने की सूचना दी है जो पूरे देश में 2,21,341 बैंकिंग केन्द्रों के जरिए बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। - लगभग 109 मिलियन मूल बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) खोले गये जिससे इनकी कुल संख्या 182 मिलियन हो गई। इनमें से 81.27 मिलियन बीएसबीडीए व्यवसाय प्रतिनिधि के जरिए खोले गये। आईसीटी आधारित खातों के भाग में काफी वृद्धि हुई - कुल बीएसबीडीए की तुलना में आईटीसी खातों की प्रतिशतता जो मार्च 2010 में 25 प्रतिशत थी मार्च 2013 में बढ़कर 45 प्रतिशत हो गई। - मार्च 2013 के अंत तक 33.8 मिलियन परिवारों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएं गये हैं। इनमें से 0.5 मिलियन किसान क्रेडिट कार्ड व्यवसाय प्रतिनिधि के जरिए दिए गए हैं। - मार्च 2013 के अंत तक 3.6 मिलियन परिवारों को साधारण क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएं गये हैं इनमें से 1.02 मिलियन साधारण क्रेडिट कार्ड व्यवसाय प्रतिनिधि के जरिए उपलब्ध कराएं गये हैं।		

क्रम. संख्या	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गयी या नहीं	अभ्युक्तियाँ
			3 वर्ष की अवधि के दौरान व्यवसाय प्रतिनिधि के जरिए आईटीसी आधारित खातों में लगभग 4904 लाख अंतरण किये गये। 3. प्रथम वित्तीय समावेशन योजना अवधि के पूरा होने के पश्चात बैंकों ने वर्ष 2013-16 के संबंध में 3 वर्ष की वित्तीय समावेशन योजनाएं तैयार की हैं। वित्तीय समावेशन प्रयासों में सभी भागीदारों को शामिल करने के उद्देश्य से बैंकों ने शाखा स्तर पर वित्तीय समावेशन योजना को विभाजित किया है। नई योजना के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाता है कि सृजित व्यापक बैंकिंग नेटवर्क का प्रयोग ऋण तथा अन्य उत्पाद प्रदान करने के लिए किया जाये, जिससे बैंकों के लिए व्यवसाय अधिक व्यवहारिक होगा और इससे भारी संख्या में खातों का खोला जाना तथा बड़ी संख्या में लेनदेन सुनिश्चित होगा और लोग औपचारिक वित्तीय संस्थाओं से जुड़ने का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। 4. नकदी प्रबंधन, प्रलेखन, ग्राहकों की शिकायत का निवारण तथा व्यवसाय प्रतिनिधि परिचालन के गहन पर्यवेक्षण में दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकों को बैंकरहित गांवों में स्थायी शाखाएं खोलने की सलाह दी गई है।		

क्रम. संख्या	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गयी या नहीं	अभ्युक्तियाँ																									
4.	23	"दिये गये उत्तर से यह पता चलता है कि यद्यपि सरकार ने बाजार से पूंजी एकत्र करने हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिये अतिरिक्त संभावना सृजित की है, परन्तु इस उत्तर में समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनके पुनर्पूजीकरण हेतु आंतरिक निधियां सृजित करने के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया है। अतः समिति पिछले 3 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी की तुलना में प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के बैंक द्वारा अर्जित पूंजी का ब्यौरा जानना चाहती है। समिति सरकार से सरकारी क्षेत्र के	5. अप्रैल, 2011 से बैंकरहित क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के संबंध में बैंक-वार की गई प्रगति निम्नानुसार है:- <table><thead><tr><th>अवधि</th><th>अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक</th><th>अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक</th><th>अप्रैल 2013 से सितम्बर 2013 तक</th></tr></thead><tbody><tr><td>बैंक श्रेणी</td><td>निजी क्षेत्र बैंक</td><td>सरकारी क्षेत्र बैंक</td><td>निजी क्षेत्र बैंक</td><td>सरकारी क्षेत्र बैंक</td><td>निजी क्षेत्र बैंक</td><td>सरकारी क्षेत्र बैंक</td></tr><tr><td>उक्त अवधि के दौरान खोली गई कुल शाखाएं</td><td>1856</td><td>4850</td><td>2035</td><td>4690</td><td>995</td><td>2008</td></tr><tr><td>बैंक रहित केन्द्रों में शाखाएं</td><td>78</td><td>1323</td><td>470</td><td>1476</td><td>683</td><td>1174</td></tr></tbody></table> स्रोत : आरबीआई	अवधि	अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक	अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक	अप्रैल 2013 से सितम्बर 2013 तक	बैंक श्रेणी	निजी क्षेत्र बैंक	सरकारी क्षेत्र बैंक	निजी क्षेत्र बैंक	सरकारी क्षेत्र बैंक	निजी क्षेत्र बैंक	सरकारी क्षेत्र बैंक	उक्त अवधि के दौरान खोली गई कुल शाखाएं	1856	4850	2035	4690	995	2008	बैंक रहित केन्द्रों में शाखाएं	78	1323	470	1476	683	1174		होलडिंग कंपनी के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने संबंधी समिति के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है। होलडिंग कंपनी गठित करने का प्रस्ताव विधि कार्य विभाग तथा विधायी विभाग और राजस्व विभाग के साथ परामर्श के अग्रिम स्तर पर है।
अवधि	अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक	अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक	अप्रैल 2013 से सितम्बर 2013 तक																											
बैंक श्रेणी	निजी क्षेत्र बैंक	सरकारी क्षेत्र बैंक	निजी क्षेत्र बैंक	सरकारी क्षेत्र बैंक	निजी क्षेत्र बैंक	सरकारी क्षेत्र बैंक																								
उक्त अवधि के दौरान खोली गई कुल शाखाएं	1856	4850	2035	4690	995	2008																								
बैंक रहित केन्द्रों में शाखाएं	78	1323	470	1476	683	1174																								

क्रम. संख्या	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गयी या नहीं	अभ्युक्तियाँ
		बैंकों की दीर्घावधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होल्डिंग कंपनी स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध करती है।"	का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। निवल लाभ आंतरिक रूप से सृजित निधि है और लाभांश, लाभांश पर कर, विनियामकीय अवधारणाओं के अनुसार लाभांश तथा विनियोजन/ अंतरण के संबंध में कर का भुगतान करने के पश्चात यह पूंजी बन जाता है। बैंकों को उनके द्वारा निर्धारित समुचित समय अनुसार बाजार से पूंजी एकत्र करने के संबंध में अपेक्षित व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। होल्डिंग कंपनी स्थापित करने के संबंध में वित्त मंत्री के अनुमोदन से एक प्रारूप मंत्री मंडल टिप्पणी तथा विधेयक विधायी कार्य विभाग तथा विधि विभाग के परामर्श के स्तर पर है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है।		

अनुबंध

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	बैंक का नाम	निवल लाभ		भारत सरकार द्वारा लगाई गई पूंजी			
		2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
1	इलाहाबाद बैंक	1423	1867	1185	670	0	0
2	आंध्रा बैंक	1267	1345	1289	1173	0	0
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	4242	5007	4481	2461	0	850
4	बैंक ऑफ इंडिया	2489	2678	2749	1010	0	809
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	330	431	760	940	470	406
6	केनरा बैंक	4026	3283	2872	0	0	0
7	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1252	533	1015	2253	676	2406
8	कारपोरेशन बैंक	1413	1506	1435	309		204
9	देना बैंक	612	803	810	539	0	0
10	इंडियन बैंक	1714	1747	1581	0	0	0
11	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	1073	1050	567	1054	1441	1000
12	ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	1503	1142	1328	1740	0	0
13	पंजाब नेशनल बैंक	4434	4884	4748	184	655	1248
14	पंजाब एंड सिंध बैंक	526	451	339	0	0	140
15	सिंडिकेट बैंक	1048	1313	2004	633	0	0
16	यूको बैंक	907	1109	618	1613	48	681
17	युनियन बैंक ऑफ इंडिया	2082	1787	2158	793	0	1114
18	यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया	524	633	392	558	0	100
19	विजया बैंक	524	581	586	1068	0	0
20	भारतीय स्टेट बैंक	8264	11707	14105	0	7900	3004
21	आईडीबीआई बैंक लि.	1650	2032	1882	3119	810	555
	कुल	41,303	45,889	46,904	20,117	12,000	12,517

क्रम. संख्या	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गयी या नहीं	अभ्युक्तियाँ
5.	30 और 31	अनुपयोज्य आस्तियां (एनपीए) बिंदु 30 समिति को मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई संबंधी उत्तर से यह पता चलता है कि वाणिज्यिक बैंकों की अनर्जक आस्तियों की समीक्षा विभिन्न स्तरों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक; सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों में सरकारी द्वारा नामित निदेशकों तथा वित्तीय स्थायित्व एवं विकास परिसर (एफएसडीसी) पर की जा रही है। तथापि यह नोट करना आयर्चजनक है कि वित्तीय सेवाएं विभाग, प्रासनिक विभाग, जो अनर्जक आस्तियों में परिवर्तन के संबंध में गहन निगरानी रखता है, के पास अनर्जक आस्ति प्रबंधन प्रकोष्ठ नहीं है। जून 2013 में प्रकाशित अद्यतन वित्तीय स्थायित्व रिपोर्ट में व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कि मौजूदा व्यापक आर्थिक परिस्थितियों; तथा 1 अप्रैल 2015 से पुनर्संरचित अग्रिमों के वर्गीकरण में प्रस्तावित परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए अनर्जक आस्ति की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है, समिति आशा करती है कि मंत्रालय इस मामले में अधिक गंभीरता से कार्रवाई करेगा और बैंकों की आस्ति गुणवत्ता पर ध्यान देने के लिये वित्तीय सेवाएं विभाग में उच्चतम स्तर पर एनपीए निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित करेगा ताकि बैंकिंग स्थायित्व तथा ऋण के निरंतर वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। एनपीए निगरानी प्रकोष्ठ शीर्ष एनपीए खातों; एनपीए सूचना प्रणाली में विलंब; सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यमों को अपर्याप्त धन उपलब्ध कराना जिससे उनपर वित्तीय दबाव बनता हो तथा	बिंदु 30 सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों की अनर्जक आस्तियों की निगरानी करने, वसूली, बड़े खाते डालने, अग्रिमों के अपग्रेडेशन तथा पुनर्गठन सहित एनपीए में कमी करने पर विशेष जोर देते हुए नवम्बर 2012 में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवाएं विभाग में रिकवरी अनुभाग की स्थापना की जा चुकी है। विभिन्न पहलुओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक तथा सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों से रिपोर्टें मांगी जाती हैं तथा विभाग में उच्चतम स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है एनपीए तथा उनके बैंक की आस्ति गुणवत्ता पर गहन निगरानी रखने और समीक्षा हेतु विभाग को आवधिक रिपोर्ट भेजने के लिए बैंकों की बोर्ड बैठक के दौरान विभिन्न पहलुओं के संबंध में सरकार द्वारा नामित निदेशकों को सलाह दी जाती है। बैंकों को विस्तृत कार्य नीति और लक्ष्य प्राप्त करने के साधन के रूप में इसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिये अनुदेश जारी किये गये हैं। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 नवम्बर 2012 को रुग्ण सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के पुनरुज्जीवन हेतु दिशानिर्देश जारी किया है संशोधित दिशानिर्देश में रुग्णता की आरंभ में पहचान करने तथा इकाई की व्यवहार्यता के संबंध में निर्णय लेने तथा व्यवहार्य पाये गये एमएसई को समय पर एवं पर्याप्त सहायता देने पर जोर दिया गया है। बैंकों को विशेष रूप से जब	कॉलम सं. 4 में दिए गए उत्तरों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत नहीं।	

क्रम. संख्या	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गयी या नहीं	अभ्युक्तियाँ
		एनपीए सृजित होती हो की समीक्षा की जांच करेगा। समिति यह भी चाहती है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विश्वसनीयता तथा उनकी आस्ति गुणवत्ता की सतत प्रगति प्राप्त करने के लिये मंत्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों का ब्यौरा प्रस्तुत करें। बिंदु 31 सभी इरादतन चूककर्ताओं के नाम प्रकाशित करने के अन्य मामले के संबंध में मंत्रालय ने अपने प्रस्तुतीकरण में यह कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ड. तथा लोक वित्तीय संस्था (विवस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं का यह दायित्व है कि वे अपने संघटकों के संबंध में गोपनीयता बनाये रखे। तथापि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रभावी कार्य हेतु, इरादतन चूककर्ताओं तथा उनके एनपीए (न कि सभी उधारकर्ताओं की ऋण सूचना या चूककर्ताओं की अन्य ऋण सूचना) की सूचना संसदीय स्थायी समिति को देना किस प्रकार प्रतिबंधित है विशेष रूप से तब जबकि ऐसे आंकड़े प्रकट करना लोक वित्तीय संस्था (विवस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 की धारा 3(2) के अंतर्गत अनुमत है। जिसमें यह उल्लेख	रुग्णता उपक्रमों के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण हो, सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाने तथा एमएसई के पुनरुज्जीवन हेतु प्रयास करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा वित्तीय सेवाएं विभाग में एक अलग अनुभाग भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण तथा इसके तहत अनर्जक आस्ति के संबंध में कार्रवाई करता है। बिंदु 31 यह सूचित किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक गैर वाद दायर संदिग्ध तथा एक करोड़ रुपये या इससे अधिक हानि वाले उधार खाते के संबंध में अर्द्धवार्षिक आधार पर (अर्थात् 31 मार्च और 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार) तथा 25 लाख रुपये के इरादतन चूककर्ता के गैर वाद दायर खातों के संबंध में तिमाही आधार पर सूचना एकत्र करता है तथा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को गोपनीय उपयोग हेतु प्रदर्शित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ड. भारतीय रिजर्व बैंक को इसमें निर्धारित पद्धति के अलावा ऋण सूचना को प्रकट करने के लिये निषेध करती है। 30 शीर्ष वाद दायर खातों की सूची अनुबंध में दिये गये अनुसार है। ये आंकड़े समिति के सूचनार्थ सरकारी क्षेत्र के बैंकों से एकत्र किये गये हैं। बैंक/ वित्तीय संस्था एक करोड़ रुपये या इससे अधिक		

क्रम. संख्या	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गयी या नहीं	अभ्युक्तियाँ
		किया गया है कि सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अपने कार्यों के बेहतर निष्पादन के प्रयोजन से केन्द्र सरकार से सूचना एकत्र कर सकती है या उन्हें ऋण सूचना प्रस्तुत कर सकती है। यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि ऐसी सूचना प्रकट करने से बैंकों के ऋण या ऋण नीति का विनियामकीकरण किस प्रकार प्रभावित होता है। समिति यह मानती है कि इससे वसूली की प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। समिति चाहती है कि इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किये जाने के एक माह के भीतर अपेक्षित सूचना से समिति को अवगत कराया जाये।	के वाद दायर उधार खातों और 25 लाख रुपये या इससे अधिक के इरादतन चूककर्ताओं की सूची 4 ऋण सूचना कंपनियों को प्रस्तुत करता है और यह सूचना सीआईबीआईएल की वेबसाइट (www.cibil.com), एक्सपेरियन क्रेडिट इनफोरमेन कंपनी ऑफ इंडिया प्रा. लि. की वेबसाइट (www.experian.co.in), इक्विफैक्स क्रेडिट इनफॉरमेन सर्विसेस प्रा. लि. की वेबसाइट (www.equifax.co.in) तथा हाई मार्क क्रेडिट इनफॉरमेन सर्विसेस प्रा. लि. की वेबसाइट (www.highmark.in) पर उपलब्ध है।		

30 सितम्बर 2013 की स्थिति के अनुसार वाद दायर किये गये 30 शीर्ष खातों का ब्यौरा (राशि करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	30.09.2013 की स्थिति के अनुसार बकाया
1	किंगफार एयरलाइन्स लि.	3782.16
2	जूम डवलपर्स (पी) लि.	2267.61
3	सूर्या फार्मास्यूटिकल लि.	900.99
4	पिक्सॉन मीडिया प्रा. लि.	570.34
5	एसटीसीएल लि.	535.58
6	सेंचुरी कम्युनिकेशन लि.	525.48
7	एनएएफईडी	518.56
8	एक्सएल एनर्जी लि.	510.23
9	बायोटोर इंडस्ट्रीज लि.	479.97
10	डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लि.	476.55
11	केमराॅक इंडस्ट्रीज एंड एक्सपो	445.05
12	वरुण इंडस्ट्रीज लि.	427.91
13	माहेवरी इस्पात लि.	373.65
14	जे बी डायमंड्स लि.	366.58
15	डेलीडाटा इन्फॉर्मेटिक्स लि.	356.93
16	इलेक्ट्रॉथर्म (इंडिया) लि.	352.88
17	पैरामाउंट एयरवेज	341.42
18	एम बी एस ज्वैलर्स लि.	331.76
19	रजत फार्मा केमिकल्स लि.	327.50
20	विशाल एक्सपोर्ट्स ओवरसीज लि.	300.83
21	श्री ललीता सीमेन्ट इंडस्ट्रीज लि.	290.26
22	सूर्या विनायक इंडस्ट्रीज लि.	284.42
23	महुआ मीडिया पी. लि.	281.23
24	प्राइम इम्पेक्स लि.	278.54
25	आर आर इन्फो पार्क प्रा. लि.	269.31
26	यूरो सेरामिक्स लि.	266.05
27	अंकुर ड्रग्स एंड फार्मा लि.	265.68
28	केरला स्टेट कैयू डेव. कॉर्प. लि.	264.19
29	रामस्वरूप इंडस्ट्रीज लि.	247.03
30	इंड सिनर्जी लि.	238.55
	शीर्ष 30 वाद दायर खातों का कुल योग	16877.26

स्रोत : पीएसबी

क्रम. संख्या	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गयी या नहीं	अभ्युक्तियाँ
6.	34	विनिवेश संबंधी प्रतिफल का मूल्यांकन करने के बारे में समिति अनुदान मांगों (2013-14) की जांच के दौरान समिति के समक्ष मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित उत्तर से इस आधार पर मुकरने से खुश नहीं है कि ऐसा अध्ययन संगत तथा उपयोगी नहीं है। यद्यपि विनिवेश के विभिन्न चरणों में प्रयुक्त पद्धति और उनके परिणाम भले ही तुलनीय न हों, फिर भी समिति का यह मत है कि इस प्रकार का अध्ययन विभिन्न पद्धतियों से अर्जित प्रतिफल का मूल्यांकन करने और विनिवेश प्रक्रिया के लिए उपयुक्त और उपयोगी है; चाहे पद्धतियों और बाजार की गतिशीलता के बीच सहयोग का परिकलन किया गया हो या नहीं। इस प्रकार के अध्ययन से भविष्य में विनिवेश पद्धतियों के सचेत चयन के लिए बेंचमार्क स्थापित करने में भी सुविधा होगी। चूंकि उपार्जन पर संभावित प्रभाव चुनी गई विनिवेश की पद्धति पर भी निर्भर करता है इसलिए उपार्जन का विश्लेषण किए बिना आगे बढ़ने से विनिवेश की मंशा को ही आशांकित कर सकता है। अतः समिति अपनी इस सिफारिश को एक बार फिर दोहराती है कि मंत्रालय को केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में केन्द्र सरकार की इक्विटी के विनिवेश से संबंधित प्रतिफल के बारे में एक अध्ययन करना चाहिए।	विनिवेश की विभिन्न पद्धतियों की एक-दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती है क्योंकि प्रत्येक मामले में विनिवेश का उद्देश्य भिन्न था। प्रारंभ में शेयरों की बिक्री बंडलों में केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों और म्यूचुअल फंडों को की गई थी। दूसरे चरण में, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की सामरिक बिक्री की गई थी, जिसमें सरकार ने अपनी अधिकांश शेयरधारिता का विनिवेश किया था और जिसमें कंपनी का प्रबंधन-नियंत्रण छोड़ दिया गया था। इसलिए इससे इन कंपनियों का सरकारी क्षेत्र का स्वरूप बदल गया था। इस समय नीति, स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से केवल 49% तक इक्विटी का विनिवेश करने की है। सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में अब 5% से 10% तक की खेपों में सरकारी इक्विटी का विनिवेश करना आवश्यक है। चूंकि विनिवेश पद्धतियों के उद्देश्य व्यापक रूप से भिन्न थे, इसलिए विनिवेश की विभिन्न पद्धतियों से प्राप्त प्रतिफल की तुलना किया जाना उपयुक्त नहीं होगा। विनिवेश से प्राप्त राजस्व कंपनी की मूलभूत विशेषताओं और अर्थव्यवस्था पर भी निर्भर करता है, जिनमें समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है। इससे ऐसी कोई भी तुलना अवैध हो जाएगी।	अस्वीकृत	

क्रम. संख्या	सिफारिश सं.	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकार की गयी या नहीं	अभ्युक्तियाँ
		समिति यह भी आशा करती है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का प्रशासनिक मंत्रालय होने के नाते, वित्त मंत्रालय को विनिवेश प्रक्रिया में खुदरा निवेशकों को प्रोत्साहित करने का मुद्दा उसके समक्ष उठाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सेबी द्वारा तीन माह के अंदर ऐसी व्यवस्था कर दी जाए।	आईपीओ/एफपीओ में खुदरा निवेशक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग हिस्सा (35%का) मौजूद है। तथापि, बिक्री की पेशकश (ओएफएस) तंत्र में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। ओएफएस में खुदरा निवेशकों की और अधिक उत्साहपूर्वक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विनिवेश विभाग ने, आईपीओ/एफपीओ की तरह ओएफएस तंत्र में खुदरा निवेशकों के लिए एक तंत्र की व्यवस्था करने का मुद्दा सेबी के साथ पहले ही उठाया है।	अस्वीकृत	

Statement showing Action Taken on the Recommendations/Observations contained in the 75th Report of the Standing Committee on Finance presented to Lok Sabha/laid in the Rajya Sabha on 18th October, 2013 relating to the Ministry of Finance.

Sl. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by government	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Point No. 13 and 14	Against the backdrop of under-achievement under the Swavalamban Scheme over the years, being implemented by the Government, the Committee had recommended for restructuring of the Scheme, as in its present form it had not been well received among the people. In the action taken replies, the Ministry of Finance submitted that since the Swavalamban Scheme was launched on 26 September, 2010, there has been a steady growth in number of beneficiaries under the Scheme, and therefore, there is no urgent need at present to restructure the Scheme. However, the Committee note from available facts that as against the total coverage target of 40 lakh subscribers for the year 2013-14, so far only about half the number i.e. 20.50 lakh subscribers have been enrolled. Though the enrollment has improved marginally, achieving the total coverage target remain doubtful, as the Scheme is available only upto March, 2014. Moreover, the coverage achieved under the Swavalamban Scheme is not as satisfactory compared to the achievement made under other social security schemes, namely, the RSBY is	The Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (PFRDA Act), has been made effective from 1st February, 2014. The PFRDA Act seeks to vest the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) with statutory status in order to help PFRDA perform its regulatory and developmental roles effectively and to extend the social security cover to hitherto uncovered working population through the National Pension System (NPS). Swavalamban Scheme is a part of the NPS. Under section 14(1) of the PFRDA Act, PFRDA has been given the mandate to regulate, promote and ensure orderly growth of the NPS. Keeping in view the sentiments of larger section of the target group of Swavalamban Scheme, the Scheme has already been extended upto 2016-17 and an amount of Rs.3165 crore has already been approved by the Union Cabinet till 2016-17. A Scheme which has been mandate to be implemented and regulated by PFRDA under PFRDA Act may not be required to be included in another Act (The Unorganised Workers' Social Security Act, 2008) for the purpose of monitoring to avoid any overlap or any confusion. 2. Further, several steps have been taken to increase the coverage of unorganized sector workers under the Swavalamban Scheme. These efforts have resulted in a steady growth in number of beneficiaries under the Scheme. A total of 6.44 lakh subscribers during 2011-12, 10.04 lakh subscribers during 2012-13 and 13.90 lakh subscribers upto 25.4.2014 were reported to be covered during 2013-14, have been benefitted under the Swavalamban Scheme. It is expected that around 15 lakh subscribers would be benefitted under the Scheme for the full	Not accepted. The reasons for non-acceptance of the recommendation contained in the 75 th Report of the Standing Committee on Finance, have been elaborated under column 4.	

Sl. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
2	17	57.34 lakh and 80.15 lakh in the case of the AABY, while it is a mere 6.80 lakh under the Swavalamban Scheme. Thus, it is clearly evident that the steps taken by the Ministry under the Swavalamban Scheme wholly inadequate, considering the fact that 94 per cent of total employment i.e. 43.70 crore remains in the unorganized sector, which warrants extensive coverage under schemes such as this. Unlike other Social Security Scheme, for instance, the RSBY and the AABY included in Schedule I of the Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 and deemed to be welfare schemes for unorganised workers, Swavalamban Scheme is yet to find a place in the Schedule despite the Central Government having the power to amend the Schedule. The Committee, therefore, while reiterating their recommendation to restructure the Swavalamban Scheme to cover more extensively the unorganized workers, urge the Government to amend the Schedule I of the Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 to include the Swavalamban Scheme.	financial year 2013-14 once the enrolment details are received under the Scheme, which may be possible by May, 2014. 3. The Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 does neither specify the procedure of implementation of Social Security Scheme nor any funding support being provided to Social Security Scheme for the unorganized sector under the said Act. The Unorganised Workers' Social Security Act, 2008 provides only a framework of social security, however, implementation of any social security scheme like Swavalamban Scheme is not the subject matter of the Act as this is being done by the pension sector regulator, that is, PFRDA. 4. In view of above, the Department of Financial Services, Ministry of Finance states that it may not accept the recommendation contained in the 67th Report of the Standing Committee on Finance on Demands for Grants (2013-14) to include the Swavalamban Scheme in the Schedule I of the Unorganised Workers' Social Security Act, 2008.	Accepted	
		The Committee are happy to note that the Government proposes to set up a monitoring wing within the Department of Financial Services to monitor the schemes under its jurisdiction. However, no mention has been made in the action	(i) A system of Internal Financial Advisers(IFA), is in place. Senior Officers of the rank of Additional Secretary/Joint Secretary are appointed as Financial Advisors(FAs) in various Ministries/ Departments. These IFAs, among other things, monitor the pace as well as outcome of expenditure in the Plan Schemes implemented by the Ministry/Department.		

Sl. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
3	20	taken reply about overseeing the outcome of expenditure by the Department of Expenditure periodically in major schemes of the Central Government, as recommended by the Committee. The Committee desire to know the action taken by the Government in this regard. “The Committee note with strong disapproval that the action taken replies are evasive with regard to review and effectiveness of the Business Correspondent / Business Facilitator (BC/BF) model; and fulfillment of the obligation of opening of 25 per cent of total branches in semi-urban and rural centres by the private banks. The Ministry have simply chosen to reproduce the guidelines issued by the RBI and have not spelt out the action taken by them as the nodal agency. The Committee do not approve of such a routine approach and desire to be	(ii) Periodically, the Department of Expenditure convenes meetings of Financial Advisers(FAs), which are chaired by the Finance Minister. In these meetings, detailed discussions are held on the expenditure incurred by various Ministries/ Departments including that on Plan schemes. Suitable directions are given to FAs for overseeing the outcome of expenditure. (iii) For continuation of schemes from the earlier Plans into the current 12th Plan, it is necessary to have them evaluated by an independent agency. The recommendations of the evaluation report are to be examined by the concerned administrative Ministry/ Department implementing the Plan scheme, with a view to address the issues raised in the evaluation report and for suitable follow up in the continuation scheme. When the scheme to be continued are presented for appraisal by the Expenditure Finance Committee (EFC), the status regarding the independent evaluation has to be brought out in the EFC memo and discuss in the EFC meetings. (iv) By means of the aforesaid measures, a mechanism for overseeing the outcome of the expenditure exists. 1. With a view to increasing banking penetration and promoting financial inclusion, domestic commercial banks, both in the public and private sectors were advised to take some specific actions. First, banks in January 2010, were advised to put in place a Board-approved Financial Inclusion Plan (FIP) in order to roll them out over the next three years and submit the same to the Reserve Bank of India. Banks were advised to devise the FIPs congruent with their business strategy and to make it an integral part of their corporate plans. These plans broadly include self-set targets in respect of rural brick and mortar branches opened; business correspondents (BC) employed; coverage of unbanked villages with population above 2000 as also other unbanked villages with population below 2000 through branches/BCs/other modes; no-frill accounts opened including through BC-ICT; Kisan Credit Cards (KCC) and General Credit	Accepted	

Sl. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		furnished a detailed reply including overseeing mechanism of BC / BF model in this regard.”	Cards (GCC) issued; and other specific products designed by them to cater to the financially excluded segments. 2. The FIPs were used to gauge the performance of banks under their FI initiatives. A snapshot of the progress as reported by banks under the 3 year Financial Inclusion Plan (April 10 - March 13) for key parameters during the three year period is given below:- ■ There are nearly 2,68,000 banking outlets in villages as on March 13. Out of these 221341 are BC outlets. ■ About 7400 rural branches have been opened during this period of 3 years. ■ Nearly 109 million Basic Savings Bank Deposit Accounts (BSBDAs) have been added taking the total no of BSBDA to 182 million. Of these 81.27 million BSBDA are through Business Correspondents (BCs). Share of ICT based accounts have increased substantially - Percentage of ICT accounts to total BSBDA has increased from 25% in March 10 to 45% in March 13. ■ 33.8 million households have been provided with Kisan Credit Cards (KCCs) as at the end of March 2013. Out of these 0.5 million KCCs are through BCs. ■ 3.6 million households have been provided with General Credit Cards (GCCs) as at the end of March 2013, out of which 1.02 million GCCs are through BCs. ■ About 4904 lakh transactions have been carried out in ICT based accounts through BCs during the three year period. ■ Banks have reported having deployed 1,94,772 BCs who are providing banking services through 221,341 banking outlets in villages across the country.		

Sl. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks																												
			3. After completion of the first FI plan period, banks have now drawn up fresh 3 year Financial Inclusion Plans for the period 2013-16. In order to ensure involvement of all the stake holders in the FI efforts banks have disaggregated the FI plans up to the branch level. The focus under the new plan is to ensure that the large banking network created is utilized for extending credit and other products, which will help make the business more viable for banks and will ensure that large number of accounts opened see large volume of transactions happening and people reap the benefits of getting linked to the formal financial institutions. 4. In order to ensure efficiency in cash management, documentation, redressal of customer grievances and close supervision of BC operations, banks have been advised to focus more towards opening of Brick & Mortar branches in unbanked villages. 5. Progress made by banks as regards opening of branches in unbanked centres from April 2011 onwards bank-group wise are given below :- <table><tr><th>Period</th><th colspan="2">From April 2011 to March 2012</th><th colspan="2">From April 2012 to March 2013</th><th colspan="2">From April 2013 to Sept.2013.</th></tr><tr><th>Bank category</th><th>Private Sector Banks</th><th>Public Sector Banks</th><th>Private Sector Banks</th><th>Public Sector Banks</th><th>Private Sector Banks</th><th>Public Sector Banks</th></tr><tr><td>Total Branches opened during the period</td><td>1856</td><td>4850</td><td>2035</td><td>4690</td><td>995</td><td>2008</td></tr><tr><td>Branches in unbanked centres</td><td>78</td><td>1323</td><td>470</td><td>1476</td><td>683</td><td>1174</td></tr></table> Source: RBI	Period	From April 2011 to March 2012		From April 2012 to March 2013		From April 2013 to Sept.2013.		Bank category	Private Sector Banks	Public Sector Banks	Private Sector Banks	Public Sector Banks	Private Sector Banks	Public Sector Banks	Total Branches opened during the period	1856	4850	2035	4690	995	2008	Branches in unbanked centres	78	1323	470	1476	683	1174		
Period	From April 2011 to March 2012		From April 2012 to March 2013		From April 2013 to Sept.2013.																												
Bank category	Private Sector Banks	Public Sector Banks	Private Sector Banks	Public Sector Banks	Private Sector Banks	Public Sector Banks																											
Total Branches opened during the period	1856	4850	2035	4690	995	2008																											
Branches in unbanked centres	78	1323	470	1476	683	1174																											

Sl. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
4	23	“It seen from the reply that though the Government is stated to have created additional headroom for the Public Sector Banks (PSBs) to raise capital from the market, the reply is silent whether the Ministry, as recommended by the Committee, instructed the PSBs to generate funds internally also for their recapitalization. The Committee would thus like to know the details of capital raised by the each PSB as against the capital infused by the Government during the last three years. They also urge the Government to expedite the process of setting up of the Holding Company to meet the long-term needs of capital of PSBs:	An amount of Rs.12,517 crore was infused by the Government in 13 PSBs during 2012-13 and Rs.14,000 crore in 20 PSBs during Financial Year 2013-14, through preferential allotment of equity in its favour. This infusion of additional capital is over and above the internally generated capital by these public sector banks out of the net profits earned by them. The details of net profits earned by the PSBs during the years 2010-11, 2011-12 and 2012-13 is at Annex. The net profits are internally generated funds and ploughed back to capital after making payment towards dividend, tax on dividends and appropriations / transfer to various reserves as per regulatory prescriptions. Banks have also been advised to make necessary arrangements for raising capital from market at an appropriate time as the bank may decide. As regards the setting up of the Holding Company, a Draft Cabinet Note and Bill duly approved by the Finance Minister is at advanced stage of consultation with Department of Legal Affairs and Legislative Department. Efforts are being made to expedite this process.	The suggestion of the Committee regarding expediting the process for formation of Holding Company has been accepted.	The proposal of formation of Holding Company is in advanced stage of consultation with Department of Legal Affairs and Legislative Department and Department of Revenue etc.

ANNEX*(Rs. In Crore)*

Sl. No.	Name of the Bank	Net Profit			Capital Infused by Govt		
		2010-11	2011-12	2012-13	2010-11	2011-12	2012-13
1	Allahabad Bank	1423	1867	1185	670	0	0
2	Andhra Bank	1267	1345	1289	1173	0	0
3	Bank of Baroda	4242	5007	4481	2461	0	850
4	Bank of India	2489	2678	2749	1010	0	809
5	Bank of Maharashtra	330	431	760	940	470	406
6	Canara Bank	4026	3283	2872	0	0	0
7	Central Bank of India	1252	533	1015	2253	676	2406
8	Corporation Bank	1413	1506	1435	309	0	204
9	Dena Bank	612	803	810	539	0	0
10	Indian Bank	1714	1747	1581	0	0	0
11	Indian Overseas Bank	1073	1050	567	1054	1441	1000
12	Oriental Bank of Commerce	1503	1142	1328	1740	0	0
13	Punjab National Bank	4434	4884	4748	184	655	1248
14	Punjab & Sind Bank	526	451	339	0	0	140
15	Syndicate Bank	1048	1313	2004	633	0	0
16	UCO Bank	907	1109	618	1613	48	681
17	Union Bank of India	2082	1787	2158	793	0	1114
18	United Bank of India	524	633	392	588	0	100
19	Vijaya Bank	524	581	586	1068	0	0
20	State Bank of India	8264	11707	14105	0	7900	3004
21	IDBI Bank Ltd.	1650	2032	1882	3119	810	555
TOTAL		41,303	45,889	46,904	20,117	12,000	12,517

Sl. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
5	30 & 31	<u>Non-Performing Assets (NPAs) Point 30</u> The Committee find from the action taken replies furnished by the Ministry that review of the NPAs of commercial banks is being undertaken at various levels such as the RBI; nominee Directors from Government on Board of PSBs; and the Financial Stability and Development Council (FSDC). However, it is very strange to note that the Department of Financial Services, the administrative department, which is supposed to monitor the movement of NPAs closely, has no NPA management cell. In view of the apprehensions expressed in the RBI's latest Financial Stability Report published in June, 2013 that persistence of the current macroeconomic conditions; and the proposed change in classification for restructured advances w.e.f April 1, 2015, is likely to increase the quantum of NPAs, the Committee would expect the Ministry to take this matter more seriously and set up a NPA monitoring cell at the highest level in the Department of Financial Services to focus on asset quality of banks so as to achieve banking stability and sustainable credit growth. The NPA Monitoring Cell could look into review of top NPA accounts; write-off / up-gradation and restructured advances; pace of recovery of NPAs; delay in NPA reporting mechanism; inadequate financing of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) leading to their financial stress and NPA. The Committee also desire to be furnished with a note detailing the effectiveness of several measures taken by the Ministry and	<u>Point 30</u> It is informed that the Government has already set up a full-fledged Recovery Section to focus on recovery in the Department of Financial Services under Ministry of Finance in November, 2012 to monitor NPAs of Public Sector Banks (PSBs) with special emphasis to reduction in NPAs including review of top NPA accounts, recovery, write-off, up-gradation and restructuring of advances, NPA reporting mechanism, etc. Reports on various aspects are sought from the Reserve Bank of India and all PSBs and monitored at the highest level in the Department. Government Nominee Directors have also been advised on various aspects during their Board meetings to have a close look at the NPA and quality of assets of their bank and make periodic reports to the Department for review. Banks have been issued instructions for devising a comprehensive strategy and its effective implementation as a key to achieve the target. Besides, RBI has issued Guidelines for rehabilitation of sick Micro and Small Enterprises (MSE) on November 01, 2012. The emphasis of the revised guidelines is on handholding by early detection of incipient sickness and decision on the viability of the unit and giving timely and adequate assistance to MSEs found viable. The banks are expected to take a sympathetic attitude and strive for rehabilitation of MSEs, particularly whenever the sickness is on account of circumstances beyond the control of entrepreneurs. Further, a separate Section in the Department of Financial Services takes care of all aspects of financing to the MSME sector with the assistance of Small Industries Development Bank of India (SIDBI).	No, in view of the replies given in Column No.4	

Sl. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
		the RBI in achieving credible and sustainable progress on asset quality of PSBs. Point 31 On another issue regarding publishing of the names of all willful defaulters, the Ministry in its submission have stated that Section 45 E of the RBI Act, 1934 and the Public Financial Institutions (Obligations as to fidelity and secrecy) Act, 1983 provides for obligation of a bank or financial institution to maintain secrecy about the affairs of its constituents. It is, however, not clarified as to how, in the public interest and for efficient functioning of public sector banks, the disclosure of names of willful defaulters and their NPAs [not credit information of all borrowers or other credit information of defaulters] to a Parliamentary Standing Committee is prohibited especially when disclosure of such data is permitted under Section 3(2) of the Public Financial Institutions (Obligation as to fidelity and secrecy) Act, 1983 which provides that a public financial institution may, for the purpose of efficient discharge of its functions, collect from, or furnish credit information to the Central Government. It is also not clarified as to how revealing of such information would affect the orderly regulation of credit or credit policy of Banks. The Committee believes that this would rather help their recovery process. The Committee would like to be apprised of the requisite information within one month from the presentation of this Report.	Point 31 It is informed that the Reserve Bank of India is collating information from banks and Financial Institutions (FIs) about the list of non-suit filed 'doubtful' and 'loss' borrowal accounts of Rs. 1 crore and above on half-yearly basis (i.e. as on March 31 and September 30) and non-suit filed accounts of wilful defaults of Rs.25 lakh on quarterly basis and disseminates to banks and FIs for <u>their confidential use</u>. Section 45 E of the Reserve Bank of India Act, 1934 prohibits the Reserve Bank from disclosing 'credit information' except in the manner provided therein. The list of top 30 Suit filed accounts is as per Annexure. The data has been specifically collected from Public Sector Banks (PSBs) for informing the Committee. Banks/FIs submit the list of Suit filed accounts of borrowal accounts of Rs. 1 Crore and above and wilful defaulters of Rs. 25 lakh and above to four credit information companies and this information is available on the website of CIBIL (www.cibil.com), Experian Credit Information Companies of India Private Limited (www.experian.co.in), Equifax Credit Information Services Private Limited (www.equifax.co.in) and High Mark Credit Information Services Private Limited (www.highmark.in).		

Annex**DETAILS OF TOP 30 SUIT FILED ACCOUNTS AS ON 30TH SEPTEMBER 2013 (Amount in Rs. Crore)**

SR. NO.	NAME OF COMPANY	OUTSTANDING AS ON 30.09.2013
1	KINGFISHER AIRLINES LTD	3782.16
2	ZOOM DEVELOPERS (P) LTD	2267.61
3	SURYA PHARMACEUTICAL LTD	900.99
4	PIXION MEDIA PVT LTD	570.34
5	STCL LTD	535.58
6	CENTURY COMMUNICATION LTD	525.48
7	NAFED	518.56
8	X L ENERGY LTD	510.23
9	BIOTOR INDUSTRIES LTD	479.97
10	DECCAN CHRONICLE HOLDINGS LIMITED	476.55
11	KEMROCK INDUSTRIES & EXPO	445.05
12	VARUN INDUSTRIES LIMITED	427.91
13	MAHESHWARY ISPAT LIMITED	373.65
14	J B DIAMONDS LIMITED	366.58
15	TELEDATA INFORMATICS LTD	356.93
16	ELECTROTHERM (INDIA) LIMITED	352.88
17	PARAMOUNT AIRWAYS	341.42
18	MBS JEWELLERS (P) LTD	331.76
19	RAJAT PHARMA CHEM LTD	327.50
20	VISHAL EXPORTS OVERSEAS LTD	300.83
21	SRI LALITA CEMENT INDUSTREIS LTD	290.26
22	SURYA VINAYAK INDUSTRIES LTD	284.42
23	MAHUA MEDIA P LTD	281.23
24	PRIME IMPEX LIMITED	278.54
25	R R INFO PARK PVT LTD	269.31
26	EURO CERAMICS LTD	266.05
27	ANKUR DRUGS AND PHARMA LIMITED	265.68
28	KERALA STATE CASHEW DEV. CORP. LTD.	264.19
29	RAMSWARUP INDUSTRIES LTD	247.03
30	IND SYNERGY LTD	238.55
GRAND TOTAL OF TOP 30 SUIT FILED ACCOUNTS		16877.26

Source : PSBs

Sl. No.	Recommendation No.	Recommendation	Action Taken by the Government	Whether accepted or not by the government	Remarks
6	34	With regard to conducting an evaluation on return on disinvestment, the Committee are not happy with the retraction by the Ministry in their Action Taken Reply from their submission made before the Committee during the examination of the Demands for Grants (2013-14) on the ground that such study is not comparable and useful. Though the methodology used in different phases of disinvestment and results thereof may not be comparable, the committee are of the view that such study is desirable and useful to assess the returns earned from different methodologies and process of disinvestment; and whether the synergies between the methodology and dynamics of market worked or not. Such study would also facilitate in setting up the benchmark for careful selection of future disinvestment methodologies. Since the likely impact on yields depends also on the methodology of disinvestment chosen, going forward without analyzing the returns could jeopardize the intention of disinvestment. The Committee, therefore, reiterate their recommendation that the Ministry should conduct a study in regard to return on disinvestment of Central Government's equity from Central Public Sector Enterprises (CPSEs). They also expect that the Ministry of Finance, being the administrative Ministry of the Security and Exchange Board of India (SEBI), should take up with them the issue of encouraging retail investors in the disinvestment process, in order to ensure that such an arrangement is put in place by SEBI within a period of 3 months.	Different methods of disinvestment cannot be compared against each other since the objective of disinvestment in each case was different. In the beginning, shares were sold in bundles only to Public Sector Banks and Mutual Funds. In the second phase, there was strategic sale of CPSEs whereby the Government divested its majority shareholding and thereby gave up management control in the company. Therefore, this changed the public sector character of these companies. Currently the policy is to divest upto 49% only, through the stock exchange mechanism. In the case of listed companies, this has entailed divesting Government equity in tranches of 5% to 10%. Since the objectives of the disinvestment methods were vastly different, it may not be appropriate to compare the returns from different disinvestment methods. Revenue yield from disinvestment is also dependent on fundamentals of the company and the economy, which change from time to time. This would make any such comparison invalid. In IPO/ FPO a separate bucket (of 35%) exists to encourage retail investor participation. However, there is no similar provision in Offer for sale (OFS) mechanism. In order to encourage retail investors to participate more enthusiastically in OFS, the Department of Disinvestment has already taken up with SEBI to provide a mechanism for retail investors similar to IPO/FPO in the OFS mechanism.	Not Accepted Accepted	